::कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी::

संख्या 181891 /2–2–स्था0(989)/ व0प्र0अ0/वार्षिक स्था0–2025 /दिनांक 10 जून,2025

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर अधिनियम की धारा–17(1)(ख)के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ–04 में उल्लिखित विकास खण्ड/जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र.सं.	व0 प्र0अ0 का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण हेतु संस्तुत जनपद	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17–(1)–(ख) के अन्तर्गत की गई संस्तुतियों का विवरण
01	02	03	04	05
1	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र थरकोट	जनपद अल्मोडा	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(ख)(चार) के अन्तर्गत।
2	श्री रमेश चन्द्र जोशी	जनपद टिहरी	जनपद देहरादून	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17–(1)–(ख)–(पांच) के अन्तर्गत।
3	श्री अशोक कुमार धमान्दा	जनपद चमोली	जनपद टिहरी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत।
4	श्री हरीश चन्द्र पाठक	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र अल्मोडा	जनपद ऊधमसिंहनगर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत।

2. उक्त स्थानान्तरित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

ह0/–
(अनुराधा पाल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या /2–2–स्था0(989)/ व0प्र0अ0/वार्षिक स्था0 25/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
4. सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी/आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन पूर्व तैनाती स्थान से आहरित नहीं किया जाय।
7. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
8. उपरोक्त सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

Digitally signed by
BHARAT CHANDRA BHATT
Date: 10-06-2025
17:14:47

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।